मतदाता अधिकार पत्र

1. **यदि आप वैध पंजीकृत मतदाता हैं तो आपको मत (वोट) देने का अधिकार है।**
   वैध पंजीकृत मतदाता से हमारा तात्पर्य है संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक जो इस राज्य का निवासी है, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और जो किसी महा अपराध के लिए दोषी साबित होकर जेल में नहीं है या पैरोल पर नहीं छोड़ा गया है, और जो अपने वर्तमान पते पर मत देने के लिए पंजीकृत है।
2. **यदि मतदाता सूची पर आपका नाम प्रस्तुत नहीं है, तो आपको अंत:कालीन (प्रोविज़नल) मत देने का अधिकार है।**
3. **मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले यदि आप मतदान देने के स्थान पर लाइन में खड़े हैं तो आपको मत देने का अधिकार है।**
4. **आपको दबाव मुक्त तथा गुप्त मत देने का अधिकार है।**
5. **मत देने से पहले यदि आपको यकीन है कि आपने कोई गलती की है, तो आपको नया मत पत्र प्राप्त करने का अधिकार है।**
   अंतिम रूप से मत देने से पहले यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने कोई गलती कर दी है, तो आपको बिगड़े हुए मत पत्र की जगह पर नया मत पत्र लेने का अधिकार है। डाक-द्वारा-भेजने वाले मतदाता भी नया मत पत्र का अनुरोध कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वे चुनाव के दिन तक मतदान समाप्त होने के समय से पहले किसी चुनाव अधिकारी को अपना बिगड़ा हुआ मत पत्र वापस कर दें।
6. **यदि आप बिना सहायता के मत नहीं दे सकते, तो मत देने में आपको सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।**
7. **आपको यह अधिकार है कि आप काउंटी के किसी भी प्रीसिंक्ट को डाक-द्वारा-भेजे जाने वाला मत पत्र भर कर वापस करें।**
8. **यदि आपके प्रीसिंक्ट में किसी दूसरी भाषा बोलने वाली आबादी की संख्या चुनाव सामग्रियां तैयार करने के लिए पर्याप्त है, तो आपको इन्हें दूसरी भाषा में प्राप्त करने का अधिकार है।**
9. **आपको चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और चुनाव प्रक्रियाओं को देखने का अधिकार है।**
   आपको यह अधिकार है कि आप प्रीसिंक्ट बोर्ड तथा चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछें और इनके लिए उत्तर प्राप्त करें या उत्तर प्राप्त करने के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी के पास भेजे जाएं। फिर भी, यदि बार-बार प्रश्न पूछे जाने पर बोर्ड या चुनाव अधिकारियों को कार्यभार संभालने में बाधा पड़ने लगती है, तो वे प्रश्न के उत्तर देना छोड़ सकते हैं।
10. **आपको किसी अवैध या धोखाधड़ी संबंधी गतिविधि के बारे में किसी स्थानीय चुनाव अधिकारी या राजकीय सचिवालय के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार है।**

विशेष नोटिस

- प्रदर्शित मत पत्र नमूने पर बताई गई तारीख़ को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक मतदान देना संभव होगा।
- मत देने के विशेष निर्देश, जिसमें अंत:कालीन (प्रोविज़नल) मत पत्र डालने के बारे में जानकारी शामिल होगी, या तो किसी चुनाव कर्मी से प्राप्त किए जा सकते हैं या आपके स्थानीय चुनाव अधिकारी द्वारा आपको डाक से भेजी गई जानकारी को पढ़ कर।
- यदि आप हाल में ही पंजीकृत मतदाता बने हैं, तो संघीय कानून के अनुसार आपसे उपयुक्त पहचान या किसी दूसरे कागज़ात को दिखाने को कहा जा सकता है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि कागज़ात यदि न भी पेश किए गए, तो भी प्रत्येक व्यक्ति के पास अंत:कालीन मत देने का अधिकार है।
- जब तक कि आप संघीय तथा राजकीय कानून के तहत मत देने की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न कर लें, खुद को मत देने के लिए पात्र दर्शाना गैर-कानूनी है।
- मतदान के उपकरणों के साथ हेरा-फेरी करना गैर-कानूनी है।

यदि आपको विश्वास है कि इनमें से किन्हीं अधिकारों से आपको वंचित किया गया है, या आप चुनाव संबंधी किसी धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार से अवगत हैं, तो कृपया राज्य सचिव को गोपनीय और टोल-फ्री

मतदाता हॉटलाइन पर (888) 345-2692 पर फ़ोन करें।